सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2011/112 दर्ज दिनांक : 14.10.2011

1. अनूपसिंह पुत्र मोहनसिंह (से.नि.कर्नल) जाति राजपूत निवासी लाखाऊ तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
2. जिला कलेक्टर महोदय, चूरू

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी
प्रतिवादीः– पैरोकार राज उपस्थित ।
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,90,92ए, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 90, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता मोहनसिंह (से.नि.कर्नल) ग्राम लाखाऊ के भूतपूर्व पट्टेधारी जागीरदार थे। जागीरदार को भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के काश्तकारी कानून के तहत सम्पूर्ण अधिकार अपनी जगीर में स्थित कृषि भूमि के सम्बन्ध में निहित थे। जागीरदार अपनी जागीर में स्थित कृषि भूमि को अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी काश्तकार को काश्त करने हेतु दे सकता था व भूमि का लगान वसूल करता था व चाहे जब कृषि भूमि काश्तकार से छुड़ाकर अन्य काश्तकार को बता सकता था एवं अपनी जागीर में स्थित भूमि का मालिक होने के कारण कृषि भूमि को काश्तकार से वापस लेकर स्वयं खुद काश्त में कृषि भूमि लेकर काश्त कर सकता था विवादित कृषि भूमि साबिका खसरा नम्बर 22 मी तादादी 38 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 85 तादादी 33 बीघा 18 विश्वा व खसरा नं. 96 तादादी 04 बीघा 02 विश्वा कुल तादादी 38 बीघा रोही मौजा लाखाऊ तहसील चूरू भी वादी के पिता की जागीर की कृषि भूमि है। विवादित खेत वादी के पिता ने करीम खां, रहीम खां पुत्रगण सतन खां कायमखानी निवासी लाखाऊ को काश्त पर दे रखा था। वादी के पिता स्वयं 1958 तक उक्त ग्राम के जागीरदार थे तथा वादगत कृषि भूमि को काश्त करते थे। भारत व पाकिस्तान का विभाजन सन् 1947 में हुआ तब रहीम खां आदि भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये, उससे पूर्व से विवादित खेत वापस तत्कालीन जागीरदार वादी के पिता को वापस दे दिया, तब से वादी के पिता विवादित कृषि भूमि को सन् 1947 से बराबर काश्त करते आ रहे थे तथा अब वादी काश्त करता आ रहा है। वादगत कृषि भूमि वादी के खुद काश्त की भूमि है। आर.टी.एक्ट की धारा 13 के अनुसार जो कृषि भूमि जागीरदार के खुद काश्त में थी उसकी खातेदारी स्वयं जागीरदार वादी के पिता मोहनसिंह (से.नि.कर्नल) के नाम बतौर खातेदार काश्तकार जमाबन्दी व गिरदावरी में दर्ज होनी चाहिए थी। विवादित खसरा नम्बर 22 मी तादादी 38 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 85 तादादी 33 बीघा 18 विश्वा व खसरा नं. 96 तादादी 04 बीघा 02 विश्वा कुल तादादी 38 बीघा रोही मौजा लाखाऊ धारा 13 आर.टी.एक्ट के अनुसार खातेदार हो गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

परन्तु रेवेन्यु विभाग की गलती से विवादित भूमि को पहले कस्टोडियन में व अन्य आराजी राज में दर्ज कर दी गई जबकि विवादित भूमि भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के काश्तकारी कानून व धारा 13 आर.टी.एक्ट के अनुसार वादी का पिता तथा अब वादी खातेदार काश्तकार बन गया है। वादी अपने नाम विवादित कृषि भूमि की खातेदारी घोषित करवा कर दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है और रेवेन्यु रिकॉर्ड को सही करके वादी का नाम खातेदार की जगह अंकित किया जाना विधिनुसार उचित है।

यह कि वादी के पिता सन् 1947 से पूर्व से विवादित भूमि को बराबर काश्त करते आ रहे हैं और अब वादी ही इस कृषि भूमि को काश्त करता आ रहा है और लगान सालाना सरकार में जमा करता आ रहा है। इन कारण परिस्थितियों में भी वादी इस विवादित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार बनने का पूर्णतया अधिकारी है। वादी के पिता में जागीरदार के अधिकार निहित थे उसी समय से सन् 1947 से पूर्व से वादी के पिता विवादित कृषि भूमि को बराबर काश्त करते आ रहे हैं व वर्तमान में वादी वादगत कृषि भूमि को काश्त कर रहा है, ऐसी स्थिति में वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार है। वादी को बेदखल नहीं किया जा सकता फिर भी राज्य सरकार प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने का नोटिस धारा 91 R.L.R. Act 1956 का दिया गया है मगर वादी को कानूनन पूर्णतया काबिज रहकर काश्त करने का अधिकार है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध हुक्म इम्तनाई दवाम की डिक्री प्राप्त करनी आवश्यक हो गई है। सन् 1947 से पूर्व से काश्तकार भूतपूर्व जागीरदार वादी के पिता ने विवादित कृषि भूमि वापस लेकर खुद काश्त करने से, जमाबन्दी व गिरदावरी में वादी के पिता का नाम बतौर काश्तकार दर्ज होने व अब वादी की काश्त चली आने से वादी को वाद का कारण प्राप्त है व बेदखली की कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा नहीं करने से इन्कार करने से वाद प्रस्तुत का अधिकार वादी को है। विवादित कृषि भूमि ग्राम लाखाऊ में स्थित है इसलिए वाद न्यायालय के सुनने योग्य है और मामूलन अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) यह कि खेत खसरा नं. साबिका 22 मी. तादादी 38 बीघा हाल खसरा नं. 85 तादादी 33 बीघा 18 बिश्वा व खसरा नं. 96 तादादी 04 बीघा 02 विश्वा कुल तादादी 38 बीघा रोही मौजा लाखाऊ की कुल कृषि भूमि का वादी को खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में भी इसी प्रकार से दुरूस्ती फरमायी जावे।

(ख) यह कि वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की भी जारी की जावे कि हाल खसरा नं. 85 तादादी 33 बीघा 18 बिश्वा व खसरा नं. 96 तादादी 04 बीघा 02 विश्वा कुल तादादी 38 बीघा रोही मौजा लाखाऊ पर वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें और ना उसे बेदखल करने हेतु कोई कार्यवाही करें, ना किसी अन्य से करावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण दौराने दावा पैदा हो जावे या माननीय न्यायालय दिलवाया जाना उचित समझे तो वह भी प्रदान किया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

Signature Not Verified

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible]कार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण [illegible] संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं जवाबदा[illegible] किया गया।

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में अंकित किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का बिन्दु संख्या एक अस्वीकार है। वादी द्वारा जागीर के कानूनों का हवाला दिया है जो R.T. Act लागू होने के बाद प्रभावी नहीं माने जा सकते हैं तथा 1958 तक काश्तकारी कानून लागू हो चुके थे ऐसे में बिन्दु संख्या एक अस्वीकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का बिन्दु संख्या दो अस्वीकार है। जो वादी द्वारा बिन्दु संख्या एक में करीम खां, रहीम खां पुत्रगण सतन खां द्वारा 1947 से पूर्व काश्त करना अंकित किया है तथा 1947 में उक्त का भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना अंकित है। ऐसे में उक्त वादगत भूमि कस्टोडियन विभाग के नाम अंकित हुई है जो नियमानुसार सही है तथा संलग्न नकल दस्तावेजात से भी यही प्रमाणित होता है कि वादगत भूमि के काश्तकार करीम खां व रहीम खां थे तथा उनके भारत छोड़कर चले जाने पर कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज हुई है। अतः बिन्दु संख्या 2 अस्वीकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का बिन्दु संख्या तीन अस्वीकार है क्योंकि दावा में प्रस्तुत नकलों में ख.नं. 22 के अंकनों में कृषकों के कॉलम में रहीमखां, करीमखां पि.सैतानखां बकाश्त दर्ज है, के साथ मोहनसिंह बशरह नं. 14 काश्तकार दर्ज है जिसमें ख.नं. 22 की काश्त उक्त सभी द्वारा काश्त करना प्रमाणित होता है तथा बकाश्त के काश्तकारों के भारत छोड़ने पर कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज हुई है जो सही है। वाद की बिन्दु संख्या तीन अस्वीकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का बिन्दु संख्या चार अस्वीकार है जिसमें वादी ने अपने आप को वादगत भूमि का खातेदार होना बता कर कार्यवाही नहीं करने का अंकन किया है जबकि वादगत भूमि वर्तमान में सिवाय चक दर्ज है, वादी खातेदार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का बिन्दु संख्या पांच अस्वीकार है क्योंकि वादी के काश्त चली आने को वाद का आधार नहीं माना जा सकता तथा नियमानुसार कस्टोडियन विभाग की भूमि जो वर्तमान में सिवायचक दर्ज है, से बेदखल किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का बिन्दु संख्या 6 कानूनी प्रकिया व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश होने पर दावा में निम्नांकित तनकियात् कायम की जाकर उभयपक्ष को समझाईश की गईः—

1. आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 85 व 96 कुल तादादी 38 बीघा रोही लाखाऊ का वादी खातेदार घोषित करवाने हकदार है ?

—वादी—

2. आया वादगत कृषि भूमि से बेदखल नहीं करने हेतु वादी जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को पाबन्द करवाने का हकदार है ?

—वादी—

3. आया वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1958 में लागू होने के बाद जागीर कानून प्रभावी नहीं माने जा सकते ?

—प्रतिवादी—

4. आया वादगत कृषि भूमि के काश्तकार करीमखां, रहीमखां वगैरह 1947 में पाकिस्तान चले जाने से कस्टोडियन विभाग के नाम सही दर्ज हुई है ?

—प्रतिवादी—

5. आया वादगत कृषि भूमि कस्टोडियन विभाग की (वर्तमान में सिवायचक दर्ज) इस पर वादी की काश्त चले आने का वाद का आधार नहीं माना जा सकता ?

—प्रतिवादी—

6. अन्य अनुतोष ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

दावा में तनकियात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई। साक्ष्यवादी में गवाह अनूपसिंह PW-1, हमीदखां PW-2, मदनसिंह PW-3, श्योचन्द PW-4 ने उपस्थित होकर बयान शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। पैरोकार राज को गवाहान से जिरह हेतु काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जिरह नहीं करने पर जिरह अन्तिम अवसर दिया गया। वादी की ओर से दिनांक 09.02.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में अंकित तथ्यों पर आपत्ति करते हुए वादगत कृषि भूमि पर आज भी वादी का कब्जा काश्त होने एवं मौके पर वादी द्वारा फसल काश्त करना अंकित कर पैरोकार राज से मौका रिपोर्ट मंगवाने एवं जवाबदावा में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश देने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। पैरोकार राज ने दिनांक 29.02.2016 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब एवं विस्तृत स्पष्टीकरण पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार राज द्वारा गवाहों से जिरह पूर्ण की गई। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। पैरोकार राज ने साक्ष्य प्रतिवादी से इन्कार किया जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली काफी समय तक बहस में नियत रही।

दावा पर वकील वादी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि सन् 1947 से पूर्व से ही कृषि भूमि साबिक ख.नं. 22 मी. तादादी 38 बीघा हाल ख.नं. 85 एवं ख.नं. 96 कुल तादादी 38 बीघा वाके रोही लाखाऊ तहसील चूरू वादी के पिता मोहनसिंह की जागीरदारी व खुदकाश्त एवं करीमखां, रहीमखां पुत्रगण सैतानखां के साथ संयुक्त काश्त में रही है तथा करीमखां, रहीमखां के पाकिस्तान चले जाने के बाद पहले वादी के पिता मोहनसिंह एवं अब वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु राजस्व विभाग ने गलती से यह भूमि पहले कस्टोडियन विभाग एवं बाद में सिवायचक दर्ज कर दी तथा गलत दर्ज राजस्व अभिलेख के आधार पर प्रतिवादीगण इस कृषि भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते हैं जबकि राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने के समय से पूर्व से ही वादगत कृषि भूमि पर वादी के पिता व वादी का कब्जा काश्त रहा है तथा आज भी इस कृषि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा मौके पर हर वर्ष वादी फसल काश्त करता है आज भी वादी की काश्तशुदा फसल मौका पर विद्यमान है। वादगत कृषि भूमि पर वादी के पिता एवं वादी का कब्जा काश्त होने के तथ्य की पुष्टि वादी द्वारा दावा में पेश दस्तावेजात् से भलीभांति होती है। साथ ही पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांक 24.02.2016 में अंकित तथ्यों से वादगत कृषि भूमि पर सम्वत् 2009 से आज तक लगातार वादी का कब्जा एवं काश्त होने का तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता है। उक्त जवाब में पैरोकार राज ने स्वयं माना है कि सम्वत् 2009 से 2031 तक लगातार काश्त मोहनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखाऊ तहसील चूरू के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा सम्वत् 2031 से 2065 तक लगातार मुताबिक गिरदावरी के फसल काश्त की हुई है परन्तु कॉलम नं. 05 में कस्टोडियन विभाग के नाम की प्रविष्टि है। मौके पर दिनांक 24.02.2016 को श्री अनूपसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाखाऊ तहसील चूरू का कब्जा, काश्त है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं पैरोकार राज द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 24.02.2016 से वादी का दावा पूर्णतया वादी के पक्ष में साबित होता है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राज ने अपनी संक्षिप्त बहस में कथन किया कि वादी ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जो अवैध कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किया जाकर वादी को वादगत कृषि भूमि से बेदखल करने का आदेश फरमाया जावे।

वादी के अधिवक्ता एवं पैरोकार राज की बहस सुनी जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दावा, जवाबदावा, पेश दस्तावेजात् जमाबन्दी, गिरदावरी, मिलान क्षेत्रफल, पैरोकार राज का विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांक 24.02.2016 एवं पेश न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस के तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 ग्राम लाखाऊ के ख.नं. 85 व 96 कुल तादादी 38 बीघा में काश्तकार के कॉलम में कस्टोडियन विभाग राष्ट्रपति भारत सरकार एवं अन्तरण के कॉलमों में 'ई.नं. 428 / 17.06.09 (हुक्मन) कुल 105–13 बीघा रकबा सिवाय चक स्वीकृत हुआ' का अंकन है। प्रदर्श–2 नकल नक्शा ट्रेस ख.नं. 85, 96 ग्राम लाखाऊ का नक्शा अंकित है जो वादगत कृषि भूमि है। प्रदर्श–3 नकल खसरा गिरदावरी ख.नं. 85 व 96 सम्वत् 2066 से 2069 में खातेदार के कॉलम में ख.नं. 19 के अनुसार व ख.नं. 85 के काश्त के कॉलम में बाजरी 28 बीघा, मूंग 2 बीघा में फसल काश्त होने का अंकन है। प्रदर्श–4 तहसीलदार, चूरू द्वारा अनोपसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत नि. लाखाऊ को धारा 91 RLR Act के तहत जारी नोटिस की प्रति है जिसमें ख.नं. 85 व 96 कुल 38 बीघा भूमि में से 37 बीघा भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण करने का अंकन है। प्रदर्श–5 नकल खसरा गिरदावरी ख.नं. 22 सम्वत् 2025 से 2028 ग्राम लाखाऊ में उप कृषक के कॉलम में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. सैतानखां कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह ब.हि.ब. खातेदार व मोहनसिंह बशरह नं. 15 काश्तकार एवं सम्वत् 2025 से 2028 के काश्त के कॉलमों में बा.मो., गुवार व मूंग की फसल काश्त होने का अंकन है। प्रदर्श–6 नकल खसरा गिरदावरी ख.नं. 22 सम्वत् 2017 से 2020 ग्राम लाखाऊ में उप कृषक के कॉलम में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. सैतानखां कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह खातेदार ब हिस्सा बराबर बकाश्त मोहनसिंह बशरह नं. 14 काश्तकार एवं सम्वत् 2017 से 2020 के काश्त के कॉलमों में बा.मो., गुवार व मूंग की फसल काश्त होने का अंकन है। प्रदर्श–7 नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम लाखाऊ में वर्तमान वादगत ख.नं. 85 तादादी 33 बीघा 18 विश्वा व ख.नं. 96 तादादी 4 बीघा 2 विश्वा पुराने ख.नं. 22 मी. से बनना अंकित है।

प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 ग्राम लाखाऊ के खाता संख्या 89 में वादगत ख.नं. 85 व 96 कस्टोडियन विभाग राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज है। प्रदर्श–9 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2010 ग्राम लाखाऊ के खाता संख्या 10 के ख.नं. 22 तादादी 38 बीघा 10 विश्वा में भूमि अधिकारी के कॉलम में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. सैतानखां कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह ब हिस्सा बराबर व उप कृषक के कॉलम में मोहनसिंह वल्द मोतीसिंह कौम राजपूत सा.देह ख.नं. 22 मी. तादादी 30 बीघा 10 विश्वा व माला व रूपा पि. मुकननाथ कौम जोगी सा.देह ख.नं. 22 मी. तादादी 8 बीघा का अंकन है। प्रदर्श–10 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016 ग्राम लाखाऊ के खाता संख्या 10 के ख.नं. 22 मी. तादादी 38 बीघा 10 विश्वा में उप कृषक के कॉलम में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. सैतानखां कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह खातेदार बकाश्त मोहनसिंह वल्द मोतीसिंह कौम राजपूत सा.देह अंकित है। प्रदर्श–11 नकल जमाबन्दी ग्राम लाखाऊ सम्वत् 2003 खाता सं. 10 ख.नं. 22 तादादी 38 बीघा 10 विश्वा के जागीरदार के कॉलम में राज श्री बीकानेर [illegible] मजकूर, खातेदार के कॉलम में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. शैतानखां कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह ब हिस्सा बराबर एवं काश्तकार के कॉलम में खुदकाश्त का अंकन है। [illegible] साला रोही लाखाऊ के ख.नं. 22 तादादी 38 बीघा 10 विश्वा में खातेदार के कॉलम में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. सैतानखां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह ब हिस्सा बराबर खुदकाश्त व इन्दराज बरूये गिरदावरी सम्वत् 2009 में मोहनसिंह बशरह नं. 14 तादादी 30 बीघा 10 विश्वा व माला व रूपा पि. मुकननाथ कौम जोगी सा.देह तादादी 8 बीघा कुल 38 बीघा 10 विश्वा में से 25 बीघा पर काश्त होने का अंकन है तथा सम्वत् 2011 में मोहनसिंह बशरह नं. 14 काश्तकार के नाम से 30 बीघा की काश्त अंकित है। प्रदर्श—13 नकल गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2015 ख.नं. 22 तादादी 38 बीघा 10 विश्वा ग्राम लाखाऊ के उप कृषक के कॉलम में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. सैतानखां कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह ब हिस्सा बराबर खुदकाश्त व बकाश्त मोहनसिंह बशरह नं. 14 काश्तकार अंकित है। प्रदर्श—14 नकल गिरदावरी सम्वत् 2016 में भी प्रदर्श—13 के अनुरूप प्रविष्टि दर्ज है। प्रदर्श—15 नकल गिरदावरी सम्वत् 2029 व 2030 में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. सैतानखां कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह ब हिस्सा बराबर खातेदार व मोहनसिंह बशरह नं. 15 काश्तकार अंकित है। प्रदर्श—16 नकल गिरदावरी सम्वत् 2016 में भी प्रदर्श—14 के अनुरूप प्रविष्टि दर्ज है। प्रदर्श—17 जो पूर्व प्रदर्श—11 के रूप में वर्णित किया जा चुका है। प्रदर्श—18 जो पूर्व प्रदर्श—9 के रूप में वर्णित किया जा चुका है। प्रदर्श—19 जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 ग्राम लाखाऊ के ख.नं. 22 में भूमि अधिकारी श्री सरकार एवं कृषक के कॉलम में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. सैतानखां कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह ब हिस्सा बराबर खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श—20 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 ग्राम लाखाऊ के ख.नं. 85 व 96 कुल तादादी 38 बीघा में काश्तकार के कॉलम में कस्टोडियन विभाग राष्ट्रपति भारत सरकार का अंकन है। प्रदर्श—21 में विवरण प्रदर्श—9 व 18 के अनुरूप ही अंकित है। प्रदर्श—22 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 ग्राम लाखाऊ खाता सं. 10 ख.नं. 22 तादादी 38 बीघा 10 विश्वा में भूमि अधिकारी के कॉलम में रहीमखां, करीमखां, दीनेखां पि. सैतानखां कौम कायमखानी तोगड़िया सा.देह ब हिस्सा बराबर व कृषक के कॉलम में मोहनसिंह बशरह नं. 14 का अंकन है। प्रदर्श—23 में विवरण प्रदर्श—22 के अनुरूप ही अंकित है। प्रदर्श—24 जमाबन्दी सम्वत् 2016 में ख.नं. 22 में उप कृषक के कॉलम में रहीम खां वगैरह खातेदार व बकाश्त मोहनसिंह वल्द मोतीसिंह जाति राजपूत सा.देह काश्तकार का अंकन है। प्रदर्श—25 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021 ग्राम लाखाऊ के ख.नं. 22 में रहीम खां वगैरह खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श—26 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028 के ख.नं. 85 व 96 कस्टोडियन विभाग राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम अंकित है। प्रदर्श—27 व 28 में विवरण प्रदर्श—26 के अनुसार ही अंकित है। प्रदर्श—29 गिरदावरी पंचसाला सम्वत् 2009 से 2011 में विवरण प्रदर्श—12 के अनुरूप अंकित है। प्रदर्श—30 व 31 में विवरण प्रदर्श—13 व 14 के अनुसार ही अंकित है। प्रदर्श—32 गिरदावरी सम्वत् 2017 से 2020 ख.नं. 22 तादादी 38 बीघा 10 विश्वा ग्राम लाखाऊ के भूमि अधिकारी के कॉलम में राजस्थान सरकार व उप कृषक के कॉलम में रहीम खां वगैरह खातेदार के साथ बकाश्त मोहनसिंह बशरह ख.नं. 14 काश्तकार का अंकन है तथा चारों वर्षों में फसल काश्त होना अंकित है। प्रदर्श—33, प्रदर्श—34 व प्रदर्श—35 गिरदावरी सम्वत् 2021 से 2024, 2025 से 2028 व 2029 से 2030 में विवरण प्रदर्श—32 के अनुसार ही अंकित है। प्रदर्श—36 से प्रदर्श—44 तक ग्राम लाखाऊ के ख.नं. 85 तादादी 33 बीघा 18 विश्वा की गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2066 तक हैं जिनमें सभी में कस्टोडियन विभाग राष्ट्रपति भारत सरकार बशरह नं. 19 अंकित है तथा सभी वर्षों में बा.मो., मूंग, गुवार की फसल काश्त होना अंकित है एवं कुछ वर्षों में गेहूं, जौ, सरसों की फसल भी काश्त किया जाना अंकित है। प्रदर्श—45 से प्रदर्श—48 व प्रदर्श—50 से प्रदर्श—53 तक ग्राम लाखाऊ के ख.नं. 96 तादादी 4 बीघा 2 विश्वा की गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2045 तक व 2050 से 2066 [illegible] विभाग राष्ट्रपति भारत सरकार बशरह नं. 19 अंकित है तथा सभी वर्षों में बा.मो., मूं[illegible]वार [illegible] फसल काश्त होना अंकित है एवं कुछ वर्षों में गेहूं, जौ, सरसों की फसल भी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से साक्ष्य में उपस्थित गवाहों ने अपने बयानों में कथन किया है कि रहीमखां वगैरह पहले वादगत कृषि भूमि को जागीरदार स्व. मोहनसिंह से लेकर काश्त करते थे, विभाजन के बाद रहीमखां वगैरह पाकिस्तान चले गये एवं सम्वत् 2009 से इस भूमि पर पहले स्व. मोहनसिंह व अब वादी निरन्तर काश्त कर रहा है तथा इस कृषि भूमि पर सम्वत् 2009 से निरन्तर उसी का कब्जा काश्त है। इस साल भी उसने मौके पर फसल काश्त कर रखी है।

पैरोकार राज द्वारा वादी के आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब एवं विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांक 24.02.2016 का भी अवलोकन किया गया जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि साबिका खसरा नम्बर 22 मीन तादादी 38 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 85 तादादी 33 बीघा 18 विश्वा खसरा नम्बर 96 तादादी 4 बीघा 2 विश्वा कुल तादादी 38 बीघा किस्म बारानी राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वर्तमान में सिवाय चक दर्ज है। इस कृषि भूमि के चारों तरफ पट्टियां रोपकर तारबन्दी की हुई है तथा चारों तरफ मोटी–मोटी सींव है जिसमें खैरी, कीकर, खींप व कुच्चे उगे हुए हैं। ख.नं. 85 तादादी 33 बीघा 18 विश्वा में से लगभग 25 बीघा भूमि पर मौके पर सरसों की फसल काश्त की हुई है तथा शेष भूमि खाली है, काश्त नहीं की हुई है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि पर मौके पर श्री अनूपसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाखाऊ तहसील चूरू का कब्जा, काश्त है। संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2301 के मुताबिक लगातार काश्त मोहनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लाखाऊ तहसील चूरू के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा सम्वत् 2031 से 2065 तक मुताबिक गिरदावरी के लगातार फसल काश्त की हुई है परन्तु कॉलम नं. 5 में कस्टोडियन विभाग के नाम की प्रविष्टि है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रमाणित जमाबन्दी के अनुसार सम्वत् 2003, सम्वत् 2020 में खातेदारी रहीम खां, करीम खां, दिने खां पिसरान शैतान खां कौम कायमखानी तोगड़िया के नाम से व सम्वत् 2010, 2016 में मोहनसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी लाखाऊ तहसील चूरू के नाम से व सम्वत् 2028, 2033, 2037 में कस्टोडियन विभाग के नाम काश्त कृषक के रूप में चली आ रही है। मौके पर दिनांक 24.02.2016 को श्री अनूपसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी लाखाऊ तहसील चूरू का कब्जा, काश्त है। दावा में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन के बाद दावा का निर्णय कायम की गई तनकियात् के आधार पर किया जाना उचित मानते हुए तनकीवार निम्नानुसार निर्णय किया गयाः–

<u>तनकी नं. 1</u> में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि ख.नं. 85 व 96 कुल तादादी 38 बीघा रोही लाखाऊ का वादी खातेदार घोषित करवाने हकदार है ?"

तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर रहा।

अदालत द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस, अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् (जमाबन्दी, गिरदावरी, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल) तथा पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का गहन परीक्षण किया गया। रिकॉर्ड से निम्न महत्वपूर्ण तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होते हैं

वादगत भूमि साबिका खसरा नं. 22 से परिवर्तित होकर वर्तमान खसरा नं. 85 व 96 के रूप में दर्ज है, जो विभिन्न अवधियों में कस्टोडियन विभाग (राष्ट्रपति भारत सरकार) के नाम दर्ज रही है तथा वर्तमान में "सिवायचक" श्रेणी में अंकित है। प्रस्तुत जमाबन्दी [illegible] से यह स्पष्ट है कि मूल खातेदार के रूप में रहीमखां, करीमखां [illegible] पिता मोहनसिंह का नाम "बशरह"

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

अथवा "काश्तकार" के रूप में अंकित रहा है, न कि खातेदार के रूप में। तत्पश्चात भूमि विधिसम्मत रूप से कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज हुई। वादी ने अपना दावा मुख्यतः दीर्घकालीन कब्जा, काश्त एवं जागीरदारी अधिकारों के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। विधिक स्थिति (राजस्व मंडल के स्थापित सिद्धांतों के आलोक में) पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत एवं न्यायिक दृष्टान्तों से पुष्ट निम्न विधिक सिद्धांत वर्तमान प्रकरण में पूर्णतः लागू होते हैं गैर खातेदार द्वारा खातेदारी प्राप्ति का माध्यम गैर खातेदार काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष नियमानुसार आवेदन करना अनिवार्य है। नियम 18, राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 सिवायचक/सरकारी भूमि पर खातेदारी अधिकार केवल उक्त नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही प्रदान किये जा सकते हैं। खातेदारी प्रदान करने से पूर्व नियमानुसार शुल्क, शास्ति एवं अन्य देय राशियों का भुगतान आवश्यक है। कब्जा मात्र से अधिकार उत्पन्न नहीं

माननीय राजस्व मंडल के स्थिर विधि सिद्धांतानुसार मात्र दीर्घकालीन कब्जा या काश्त, भले ही निरंतर क्यों न हो, खातेदारी अधिकार उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त नहीं है। जहां भूमि सरकारी/सिवायचक श्रेणी में दर्ज हो, वहाँ सीधे घोषणा वाद द्वारा खातेदारी घोषित नहीं कराई जा सकती; इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया ही एकमात्र उपाय है। उपरोक्त विधिक सिद्धांतों को वर्तमान तथ्यों पर लागू करने पर वादी या उसके पिता का नाम कभी भी खातेदार के रूप में दर्ज नहीं रहा। वादगत भूमि विधिवत रूप से कस्टोडियन विभाग/सिवायचक में दर्ज है, जिसे विधि विरुद्ध नहीं ठहराया गया है। वादी द्वारा नियम 18, 1970 के अंतर्गत कोई आवेदन, नियमितीकरण प्रक्रिया या शुल्क जमा करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी का सम्पूर्ण दावा केवल कब्जा/काश्त पर आधारित है, जो विधि अनुसार अपर्याप्त है।

अतः वादी का दावा विधिसम्मत प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे खातेदारी घोषित करवाने का प्रयास मात्र है, जो कि कानून की दृष्टि में ग्राह्य नहीं है। अदालत इस निष्कर्ष पर दृढ़तापूर्वक पहुँचती है कि वादी वादगत भूमि पर न तो विधिक रूप से खातेदार है, और न ही उसे इस वाद के माध्यम से खातेदारी घोषित करवाने का कोई अधिकार प्राप्त है।

तनकी संख्या 01 का निर्णय वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

अतः वादी का वाद इस बिंदु पर विधि विरुद्ध एवं आधारहीन होने से निरस्त (खारिज) किया जाता है।

<u>तनकी नं. 2</u> में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि से बेदखल नहीं करने हेतु वादी जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को पाबन्द करवाने का हकदार है ?"

तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार वादी पर रहा।

अदालत द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य, दस्तावेजात् एवं बहस का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। इस संबंध में निम्न तथ्य स्पष्ट रूप से अभिलेख से परिलक्षित होते हैं कि वादगत भूमि वर्तमान में कस्टोडियन विभाग/सिवायचक के रूप में दर्ज है, जो कि सरकारी भूमि की श्रेणी में आती है। वादी का नाम न तो खातेदार के रूप में दर्ज है और न ही वह विधिसम्मत रूप से उक्त भूमि का स्वामी अथवा खातेदार सिद्ध हुआ है। यद्यपि साक्ष्[illegible] से वादी का मौके पर कब्जा परिलक्षित होता है, तथापि ऐसा कब्जा विधिसम्मत अ[illegible] माना जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुस[illegible] को प्रदान की जा सकती है, जो विधिसम्मत अधिकार रखता [illegible]। सरकारी/सिवायचक भूमि पर

कोई भी व्यक्ति केवल कब्जे के आधार पर निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। कब्जाधारी को कानून द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्व मंडल द्वारा भी यह विधि स्थापित की गई है कि कब्जाधारी को राज्य के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती, विशेषकर तब जब भूमि सरकारी अभिलेखों में विधिवत दर्ज हो।

वादी का खातेदारी अधिकार सिद्ध नहीं हुआ है (जैसा कि तनकी संख्या 01 में निर्णयित किया जा चुका है)। वादगत भूमि सरकारी/सिवायचक श्रेणी में दर्ज है।

अतः वादी न तो विधिक अधिकार सिद्ध कर पाया है और न ही ऐसा वैध कब्जा, जिसके आधार पर निषेधाज्ञा प्रदान की जा सके।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी वादगत भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

तनकी संख्या 02 का निर्णय वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

अतः वादी द्वारा मांगी गई चिरस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना अस्वीकार (खारिज) की जाती है।

तनकी नं. 3 में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1958 में लागू होने के बाद जागीर कानून प्रभावी नहीं माने जा सकते ?"

तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा।

अदालत द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजात् तथा लागू विधिक प्रावधानों का गहन परीक्षण किया गया।

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में भूतपूर्व जागीरदारी अधिकारों एवं बीकानेर स्टेट के काश्तकारी कानूनों का हवाला दिया गया है। दूसरी ओर प्रतिवादीगण का स्पष्ट कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् ऐसे जागीरी कानून प्रभावहीन हो चुके हैं।

उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात् सम्पूर्ण राज्य में काश्तकारी संबंधों का विनियमन एकरूप विधि के अधीन कर दिया गया तथा पूर्व प्रचलित विभिन्न रियासती/जागीरी कानून अप्रभावी हो गए। जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ ही जागीरदारों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गए तथा कृषि भूमि पर अधिकारों का निर्धारण नवीन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाना अनिवार्य हो गया। माननीय न्यायालयों एवं राजस्व मंडल द्वारा निरंतर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् पूर्व रियासती/जागीरी कानूनों के आधार पर अधिकारों का दावा स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि वे अधिकार अधिनियम के अधीन विधिसम्मत रूप से संरक्षित या मान्य न किए गए हों।

वादी द्वारा अपने खातेदारी अधिकार का आधार मुख्यतः जागीरदारी व्यवस्था एवं पूर्व प्रचलित कानूनों पर रखा गया है। किन्तु वादगत भूमि के संबंध में अधिकारों का निर्धारण वर्तमान वैधानिक प्रावधानों, विशेषतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं तत्संबंधित राजस्व कानूनों के तहत ही किया जाना आवश्यक है। वादी यह स्थापित करने में असफल रहा है कि उसके कथित जागीरी अधिकार अधिनियम के अधीन विधिवत रूप से परिवर्तित या संरक्षित हुए हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः यह न्यायालय स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (प्रवर्तन 1958) लागू होने के पश्चात् वादगत भूमि के संबंध में जागीर संबंधी कानून प्रभावी नहीं माने जा सकते।

तनकी संख्या 03 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरुद्ध किया जाता है।

तनकी नं. 4 में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि के काश्तकार करीमखां, रहीमखां वगैरह 1947 में पाकिस्तान चले जाने से कस्टोडियन विभाग के नाम सही दर्ज हुई है ?"

तनकी नं. 4 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर रहा है

अदालत द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात्, गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया। प्रस्तुत अभिलेखों से निम्न तथ्य स्थापित होते हैं प्रदर्शित जमाबन्दियों (सम्वत् 2003, 2010, 2016 आदि) एवं गिरदावरियों से यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि (साबिक ख.नं. 22) के खातेदार के रूप में करीमखां, रहीमखां, दीनेखां आदि के नाम दर्ज रहे। वादी के स्वयं के कथन तथा गवाहों के बयानों से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकारित है कि उक्त काश्तकार सन् 1947 के विभाजन के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। विभाजन के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की संपत्तियों के संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही कर उन्हें कस्टोडियन विभाग (राष्ट्रपति भारत सरकार) के अधीन दर्ज किया जाना प्रचलित विधिक प्रक्रिया का हिस्सा रहा है।

अभिलेखों में सम्वत् 2028 से आगे वादगत भूमि का कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज होना निरंतरता के साथ प्रदर्शित है, जिसे वादी द्वारा विधि अनुसार चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया गया है।

विभाजन (Partition) के उपरांत भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों की संपत्ति को विधि अनुसार (परित्यक्त संपत्ति) मानकर कस्टोडियन के अधीन लिया जाता है।

ऐसी संपत्ति का कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज होना एक विधिसम्मत राजकीय कार्यवाही है, जिसे तब तक वैध माना जाता है जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त न कर दिया जाए।

वादी स्वयं यह स्वीकार करता है कि मूल काश्तकार (करीमखां, रहीमखां आदि) पाकिस्तान चले गए थे। उनके पाकिस्तान चले जाने के उपरांत वादगत भूमि का कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज होना विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुरूप है। वादी इस तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कस्टोडियन के नाम की प्रविष्टि किसी प्रकार से अवैध या त्रुटिपूर्ण है।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादगत कृषि भूमि के काश्तकारों के 1947 में पाकिस्तान चले जाने के कारण उक्त भूमि का कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज होना विधिसम्मत एवं सही है।

तनकी संख्या 04 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरुद्ध किया जाता है।

तनकी नं. 5 में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि कस्टोडियन विभाग की होने से (वर्तमान में सिवायचक दर्ज) इस पर वादी की काश्त चले आने का वाद [illegible] नहीं माना जा सकता ?"

तनकी नं. 5 को साबित करने का दायित्व भी प्रतिवादीगण पर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

अदालत द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात्, गवाहों के बयान, पैरोकार राज के स्पष्टीकरण तथा दोनों पक्षों की बहस का सम्यक् परीक्षण किया गया। वादगत भूमि साबिक खसरा नं. 22 से परिवर्तित होकर वर्तमान खसरा नं. 85 व 96 के रूप में दर्ज है, जो विभिन्न अवधियों में कस्टोडियन विभाग (राष्ट्रपति भारत सरकार) के नाम दर्ज रही है तथा वर्तमान में सिवायचक श्रेणी में अंकित है। जमाबन्दी एवं गिरदावरी अभिलेखों में वादी या उसके पिता का नाम खातेदार के रूप में कहीं भी अंकित नहीं है, बल्कि अधिकतम काश्तकार/बशरह के रूप में प्रविष्टि पाई जाती है। पैरोकार राज के स्पष्टीकरण से यह अवश्य परिलक्षित होता है कि वादी का कुछ अवधि तक मौके पर कब्जा/काश्त रहा है, किन्तु यह कब्जा विधिसम्मत अधिकार पर आधारित नहीं है। सिवायचक भूमि राज्य की संपत्ति होती है, जिस पर निजी व्यक्ति का कोई अधिकार तब तक मान्य नहीं होता जब तक वह विधिसम्मत प्रक्रिया से प्राप्त न किया गया हो।

मात्र दीर्घकालीन काश्त या कब्जा, भले ही निरंतर क्यों न हो, सरकारी भूमि पर कोई वैध अधिकार या खातेदारी उत्पन्न नहीं करता। ऐसी भूमि पर अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के अंतर्गत नियमानुसार आवेदन, परीक्षण एवं नियमितीकरण आवश्यक है। केवल कब्जे के आधार पर सीधे वाद प्रस्तुत कर अधिकार घोषित करवाना विधि के विपरीत है। वादगत भूमि सरकारी (सिवायचक) श्रेणी में दर्ज है। वादी ने खातेदारी प्राप्त करने हेतु कोई वैधानिक प्रक्रिया (नियम 18, 1970) का पालन नहीं किया है। वादी का सम्पूर्ण दावा केवल लंबे समय से काश्त पर आधारित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आधार विधि की दृष्टि में अपर्याप्त एवं अस्वीकार्य है।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादगत कृषि भूमि कस्टोडियन/सिवायचक होने के कारण उस पर वादी की काश्त चले आने मात्र से कोई वैध अधिकार उत्पन्न नहीं होता तथा यह वाद का वैध आधार नहीं माना जा सकता।

तनकी संख्या 05 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं वादी के विरुद्ध किया जाता है।

उपरोक्त सभी तनकियों के निष्कर्षों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि वादगत भूमि सरकारी (कस्टोडियन/सिवायचक) है। वादी या उसके पिता का नाम कभी भी खातेदार के रूप में दर्ज नहीं रहा। वादी का दावा मात्र कब्जा/काश्त पर आधारित है, जो विधिसम्मत अधिकार उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त नहीं है। वादी द्वारा खातेदारी प्राप्त करने हेतु कोई वैधानिक प्रक्रिया (राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1970) का पालन नहीं किया गया है। जागीरदारी कानूनों के आधार पर दावा विधि अनुसार ग्राह्य नहीं है। अतः वादी अपना दावा विधिक रूप से सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है।

निर्णय

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निराधार एवं विधि विरुद्ध पाए जाने से पूर्णतः खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने–अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I. आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2011/112 दर्ज दिनांक : 14.10.2011

अनूपसिंह पुत्र मोहनसिंह (से.नि.कर्नल) जाति राजपूत निवासी लाखाऊ तहसील व जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
2. जिला कलेक्टर महोदय, चूरू

—प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी
प्रतिवादीः— पैरोकार राज उपस्थित ।
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,90,92ए, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:पर्चा डिक्रीः—

अतः तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निराधार एवं विधि विरुद्ध पाए जाने से पूर्णतः खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने—अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 06.04.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested